राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

फोन : 0141–2717076 फैक्स : 0141 – 2705067

Website: http://education.rajasthan.gov.in/rsos **e-mail: rajasthansos@gmail.com**

क्रमांक : प. 10(32)/परीक्षा एवं सन्दर्भ केन्द्रों से पत्र व्यवहार/2020/ 1190 दिनांकः 25/08/202

केन्द्राधीक्षक
समस्त परीक्षा केन्द्र
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल

विषय :– RSOS की मार्च–मई 2020 की परीक्षा हेतु केन्द्राधीक्षकों को सेनेटाइजर व अन्य व्यवस्था सम्बन्धी दिशा निर्देश बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि RSOS जयपुर की **मार्च–मई 2020** की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की 3 सितम्बर 2020 से 26 सितम्बर 2020 तक आयोजित परीक्षाओं के सम्बन्ध में कोविड–19 के चलते व अन्य व्यवस्थाओं हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. RSOS परीक्षा में कोविड–19 के चलते सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, तथा परीक्षा कक्ष में पूर्व की बैठक व्यवस्था के 50 प्रतिशत परीक्षार्थियों को ही कक्ष में बैठाना है। इस परीक्षा में इसी हिसाब से वीक्षक का पारिश्रमिक देय होगा।
2. कोविड–19 के चलते परीक्षा में सेनेटाइजर, हैण्डवाश, साबुन, बाल्टी, जग आदि सुविधाओं के लिए परीक्षा केन्द्र पर 200 परीक्षार्थियों तक 500/– रूपये एवं 200 से अधिक परीक्षार्थियों पर 1000/– रूपये देय होगा।
3. प्रायोगिक परीक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा SSO ID से नियुक्त प्रायोगिक परीक्षक को ही बाह्य परीक्षक के रूप में नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा। बिल में बाह्य परीक्षक नियुक्ति का आदेश संलग्न अवश्य करें।
4. प्रायोगिक परीक्षा में आन्तरिक परीक्षक की नियुक्ति केन्द्राधीक्षक के द्वारा की जायेगी जिसके आदेश की प्रति बिल के साथ संलग्न कर भिजवाने पर ही पारिश्रमिक देय होगा।
5. प्रायोगिक परीक्षा में लगे किसी शिक्षक की लिखित परीक्षा में उस दिन वीक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी। प्रायोगिक परीक्षा सम्बन्धी गाईडलाइन आगामी परीक्षाओं में भी जारी रहेगी।

निदेशक
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल,
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त परीक्षा केन्द्राधीक्षक।
2. कार्यालय प्रति।

सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर